



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24112025-267920
CG-DL-W-24112025-267920

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, नवम्बर 16—नवम्बर 22, 2025, शनिवार/कार्तिक 25—अग्रहायण 1, 1947
No. 42] NEW DELHI, NOVEMBER 16—NOVEMBER 22, 2025, SATURDAY/KARTIKA 25—AGRAHAYANA 1, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 182.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सहकारिता विभाग (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग में समूह 'ग' पद, सवार हरकारा पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग (सवार हरकारा समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सवार हरकारा	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 63200 रु.)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच

टिप्पण 1:- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होनी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है";

टिप्पण 3:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

(7)

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा या मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समकक्ष उत्तीर्ण
- 2.(i) यथास्थिति, स्कूटर या मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने के लिए वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस का होना;
- (ii) यथास्थिति, स्कूटर या मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने में दो वर्ष का अनुभव;
- (iii) यथास्थिति, स्कूटर या मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा तंत्र का ज्ञान, और वाहन में छोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होगा;
- (iv) अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने की क्षमता।

वांछनीय:

होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

टिप्पण 1:- यथास्थिति, स्कूटर या मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने के लिए अभ्यर्थी की सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक चालन परीक्षण संचालित किया जाएगा।

टिप्पण 2:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती या पुनः नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति / आमेलन :

कृषि और किसान कल्याण विभाग में समूह 'ग' (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2) के पदों पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों में से, ऐसा न करने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित सवार हरकारा समूह 'ग' (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2) कर्मचारियों में से, जिनके पास स्तंभ (7) में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) निदेशक या उप सचिव (कार्मिक), कृषि और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) अवर सचिव (कार्मिक), कृषि और किसान कल्याण विभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2025]

फणी तुलसी के. सीएच, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 13th November, 2025

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Co-operation (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' post, Despatch Rider in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, (Despatch Rider, Group 'C' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification, level in pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Despatch Rider	3*(2025) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable.

Age limit for direct recruitment.

(6)

Between 18 and 25 years.

Note 1: Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Union territory of Lakshadweep.

Note 3: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

1. 10th standard or Matriculation or Industrial training institute equivalent pass from recognised Board or University.

2.(i) Possession of a valid commercial driving license for driving scooter or motor cycle or auto rickshaw, as the case may be;

(ii) Two years experience in driving scooter or motor cycle or auto rickshaw, as the case may be;

(iii) Knowledge of scooter or motor cycle or auto rickshaw mechanism, as the case may be, and shall be able to remove minor defects in vehicle;

(iv) Ability to read English and Hindi.

Desirable:

Three years service as Home Guard or Civil Volunteers.

Note 1. A driving test shall be conducted to assess the candidates' competency to drive scooter or motor cycle or auto rickshaw, as the case may be.

Note 2. Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits or reemployed.	Deputation/absorption, failing which by direct recruitment

In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Deputation/ absorption: From amongst the regular employees holding Group 'C' (level 2 in the pay matrix) posts in the Department of Agriculture and Farmers Welfare, failing which from regular Despatch Rider Group 'C' (level 2 in the pay matrix) employees from other Ministries of the Central Government, who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at column (7). For Ex-Servicemen: Deputation/ Re-employment. The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and possess the requisite experience and qualifications prescribed in column (7) shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1) Director or Deputy Secretary (Personnel), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Chairman; (2) Under Secretary (General Administration), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; (3) Under Secretary (Personnel), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2025-E-II]

PHANI TULASI K. CH., Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे में (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध भौतिक चिकित्साविद् के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में भौतिक चिकित्साविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, भौतिक चिकित्साविद् (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हता-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखनबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भौतिक चिकित्साविद्।	8* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (34,500-1,12,400 रु.)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की जाए।	(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री। टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	100% सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं: 1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -अध्यक्ष; 2) उप निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -सदस्य; 3) कंसल्टेंट (एनेस्थेसिस्ट), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -सदस्य; 4) विभागाध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/04/2025-एमई/एनसीडी-1]

राजेन्द्र सिंह सिधू, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th November, 2025

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Physiotherapists, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in the All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Physiotherapist (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to such class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physiotherapist.	8* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.34,500-1,12,400) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the Competent Authority	(I) Bachelor's Degree in Physiotherapy from a recognised University or Institute. Desirable: Master's Degree in Physiotherapy in any branch from a recognised university or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years. There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of the probation period as prescribed by the Central Government.	100% by Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion/deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Promotion committee (for considering Confirmation) consisting of : 1) Additional Director, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Chairman; 2)Deputy Director (Rehabilitation), All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 3) Consultant (Anesthetist) , All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 4) Head of the Department Physiotherapy, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai – Member	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/04/2025- ME/NCD-I]

RAJENDER SINGH SIDHU, Under Secy.